न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी—विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :— 24 / 2021 (2021 / 49) | दर्ज दिनांक 27.01.2021
प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

शीर्षक

1. शंकरलाल आत्मज छोगालाल महाजन निवासी कांगणी तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा राजस्थान।

—प्रार्थी

बनाम

1. उदयराम आत्मज किशना जाट
2. डालूदास आत्मज रघुनाथदास बैरागी
3. कमलेश आत्मज शंकरलाल जाट
4. चुन्नी पुत्री किशनलाल जाट
5. जगदीशचन्द्र आत्मज मियाचन्द जाट
6. बदामी पुत्री मियाचन्द जाट
7. मोहनलाल आत्मज हरलाल जाट
8. रतनलाल आत्मज मियाचन्द जाट
9. रामेश्वर आत्मज हरलाल जाट
10. रोशनलाल आत्मज शंकरलाल जाट
11. सोसर पत्नि मियाराम जाट

सर्व निवासी कांगणी तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

—विपक्षीगण

उपस्थिति— अधिवक्ता प्रार्थीः— श्री रामेश्वर लाल जाट एवं
श्री महेन्द्रसिंह चुण्डावत

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::

निर्णय दिनांकः—12.03.2021

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर ग्राम कांगणी पटवार हल्का कांगणी तहसील सहाड़ा में प्रार्थी की खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 2118 रकबा 0.41 हे0, 2119 रकबा 0.09 हे0, 2120 रकबा 0.44 हे0, 2121 रकबा 0.33 हे0, 2122 रकबा 0.04 हे0, 2124 रकबा 0.25 हे0, 2126 रकबा 0.32 हे0, 2127 रकबा 0.34 [illegible] 2128 रकबा 0.71 हे0, 2129 रकबा 0.20 हे0, 2130 रकबा 0.20 हे0 कुल किता 11 कुल रकबा [illegible] .33 [illegible] भूमि राजस्व खाता संख्या 455 पर [illegible] जमाबन्दी सम्वत् 2074 से दर्ज होकर स्थित है। भूमि प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की [illegible] पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ 2077 संलग्न हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि सीमा [illegible] की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र [illegible] किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षी संख्या 1 लगायत 12 बावजूद सूचना के अनुपस्थित अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी के अधिवक्ता को सुना गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.26 13:28:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जिला भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या :–24 / 2021 (2021 / 49)
प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

बाद सुनवाई मैने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम कांगणी पटवार हल्का कांगणी तहसील सहाड़ा में प्रार्थी की खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 2118 रकबा 0.41 हे0, 2119 रकबा 0.09 हे0, 2120 रकबा 0.44 हे0, 2121 रकबा 0.33 हे0, 2122 रकबा 0.04 हे0, 2124 रकबा 0.25 हे0, 2126 रकबा 0.32 हे0, 2127 रकबा 0.34 हे0, 2128 रकबा 0.71 हे0, 2129 रकबा 0.20 हे0, 2130 रकबा 0.20 हे0 कुल किता 11 कुल रकबा 3.33 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 455 पर दर्ज होकर स्थित है। भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढ़ी की जाने के आदेश किये जाते हैं, **उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढ़ी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता हैं तो धारा 183 आर.टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें।** प्रार्थी बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 1000/– (एक हजार रू. मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 1000/– (एक हजार रू. मात्र) सम्बन्धित भू-अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थी अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पचोली)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर(भीलवाड़ा) 2.

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.26 13:28:16 IST
Reason: SelfAttested